अनवान परमजीत सिंह बनाम काला सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 036/2021

11.06.2025 पत्रावली पेश हुई। मनजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवकता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 16.10.2024 पर बहस प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार प्रस्तत प्रकरण चक 5 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/66 के मु0 नं0 9 की 3.213 हैक्टे0 में वादी 10373/32130 हिस्सा भूमि का खातेदार है और वादी घरेलू बंटवारे में प्राप्त मु0 नं0 9 के किला नं0 16, 23 ता 25 प्रत्येक सालम की भूमि का खातेदार घोषित करने, वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 को मु0 नं0 9 के किला नं0 15 का 0.051 हैक्टे0 पूर्वी हिस्सा का संयुक्त खातेदार घोषित करने एवं वादी को खाला व रास्ता की सुविधा प्रदान करने व विभाजन में आयी भूमि का पृथक कब्जा वादी को दिलाने एवं रेंट के वितरण हेतू प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने नाम की खाता संख्या 24/66 के मु0 नं0 9 की 3.213 हैक्टे0 में वादी का 10373/32130 हिस्सा यानि 1.0373 हैक्टे0 का बैचान प्रार्थी मनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को दिनांक 16.07.2024 को कर दिया तथा उपपंजीयक चूनावढ में रजिस्ट्री करवा दी, प्रार्थी ने मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा प्रार्थी खरीद की रोज से काबिज चला आ रहा है जमाबंदी में वादी के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज हो चुका है। वादपत्र में वादगत भूमि में वादी द्वारा अपने हिस्से का बैचान करने के बाद उसका वादगत भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहा है, जबकि धारा 54 टी. पी. एक्ट एवं धारा 47 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को पूर्ण अधिकार मिलते हैं। भूमि का बैचान करने के बाद विक्रेता के अधिकार समाप्त हो गये तथा अधिकार प्रार्थी खरीददार में निहित हो गये इसलिए प्रार्थी वादपत्र में आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाया जान आवश्यक है। प्रार्थी आवश्यक पक्षकार होने के कारण सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का हकदार है। श्रीमान् न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश करने से प्रार्थी प्रभावित होगा इस प्रकार प्रार्थी वाद पत्र में हितबद्ध पक्षकार है तथा वादों की बहुलता को रोकने के लिए भी पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है इसलिए वादपत्र में बतौर वादी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करके निवेदन है कि उक्त अनवान के वादपत्र में मनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को पक्षकार संयोजित कर वादी बनाये जाने का आदेश फरमाये जावे तो श्रीमान् जी कृपा होगी।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का जवाब दिनांक 16.01.2025 को पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार– वादी द्वारा खाला व रास्ता की सुविधा समेत विभाजन में आयी भूमि का पृथक कब्जा प्राप्त करने हेतू दावा पेश किया था। वादी द्वारा अपने हिस्सा का समस्त रकबा मनप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह को विक्रय कर दिया है जिसका जमाबंदी में इन्द्राज हो गया है यह तथ्य स्वीकार नहीं है। वादी का उक्त रकबा में हक व अधिकार नहीं रहा है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से वाद–पत्र में वादी की जगह प्रतिस्थापित नहीं हो सकता, वह किसी भी श्रेणी का पक्षकार नहीं है। प्रार्थी न तो हितबद्ध पक्षकार है और ना ही इसके पक्षकार बनने से वादों की बहुलता में कमी होगी और ना [illegible] बतौर वादी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादी परमजीत सिंह द्वारा अपना [illegible] हिस्स दौराने दावा विक्रय कर दिया है। इस कारण उसके विक्रय करने के बाद उसके समस्त अधिकार समाप्त हो गये हैं। जब वादी द्वारा अपने रकबा के संबंध में पंजीबद्ध बैयनामा करवा दिया है तथा वह अकेला वादी है इस कारण वाद बिना वादी के चलने योग्य नहीं हैं दावा इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। प्रार्थी दावा में किसी भी प्रकार से किसी भी दस्तावेज के आधार पर वादी के स्थान पर वादी स्थापित नहीं हो सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested

अगर इसका पंजीबद्ध दस्तावेज से उसके नाम के रकबा में हक व हिस्सा बनता है तो वह अलग से दावा पेश कर सकता हैं। उक्त दावा में वह वादी पक्षकार बनने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत बैयनामा दिनाक 16.07.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने उक्त वाद में वर्णित सम्पूर्ण रकबा 1.0373 हैक्टे0 रकबा का बैचान प्रार्थी मनप्रीत सिंह को कर दिया है एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम अंकन हो गया है। चूंकि प्रार्थी मनप्रीत सिंह अभिलिखित खातेदार होने के कारण हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मनजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति खत्री निवासी एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को वादी के रूप में पक्षकार प्रतिस्थापित किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 07.07.20[illegible] को पेश हो।

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested